BIRLA PUBLIC SCHOOL GANGANAGAR

3HH, SURATGARH ROAD, DISTRICT-SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN-335001 Contact: +91 9116138852 or 7240699936

E-mail: info@bpsganganagar.com, Website: www.bpsganganagar.com

Affix passport size student photographs

TRANSPORT FORM-2020-21

Dear Sir/Madam,										
I want to avail School bus Service for my ward from the month ofYearYear										
(a) Name of the Child in full (in capital letters)										
(b) Class										
(c) Sex: Male Female (c) Date of Birth:										
© Another Emergency contact no. with full name other than parent										
Subsequent to my wards admission to BIRLA Public School, I										
Name of parent Email id.:										
Address										
Father Mobile No Mother Mobile No										
pick up point/location & landmark										
Date Place Parents Signature										
For office use only										
Name of pick up & Drop point Bus charges/Month										
Total Charges										
Bus fee paid: - No Yes Signature's :-										
Transport in charge Accounts officer Admin. Officer Founder Headmistress										

Rules & Regulations: -

- The School Bus is available for the school children from Pre Primary to IX.
- No child will be allowed to go to her friends or relatives place from the school.
- No student will be allowed to travel by any other bus except the one allotted to her/Him.
- No student is allowed to eat in the bus. Discarding of trash or food either inside or outside buses is not permitted.
- Change of residence should be notified to the school, but the school will not change bus routes to accommodate the student. Kindly submit residence proof for the new address.
- Any teacher or bus monitor of our school has the right to report to the Principal if a child misbehaves in the bus, for which the child can be suspended.
- Admission to BPS-G School does not ensure a seat on any particular bus. If a bus is full, or does not
 cover the required area, parents will have to make their own arrangements.
- Request for change of bus route or additional stops will not be entertained in any case.
- Change of school bus: Students must inform the office about the change of their bus route by filling up the prescribed form. No change will be effective unless sanctioned by the office.
- The transport fee will be charges for eleventh month i.e. from April 2020 to March 2021 excluding the month of June 2019, however in case to start the use of transport from any month the fee will charged from that month to march 2021. But in case of discontinuation of the bus facility no refund will made and should has to pay full transport fee.

नियम व शर्ते :-

- विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस स्विधा पूर्व प्राथमिक स्तर से IX कक्षा तक उपलब्ध है|
- किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय से अपने मित्रों/रिश्तेदारों/सगे-सम्बन्धियों के पास जाने की अन्मित नहीं है|
- आवंटित बस के अलावा विद्यार्थी को किसी भी दूसरी विद्यालय बस से आने/जाने की अनुमति नहीं है|
- विद्यार्थियों को बस में खाद्य पदार्थ खाने की अनुमित नहीं है|बस के अन्दर व बाहर किसी भी प्रकार की गन्दगी फैलाना निषेध है!
- आवास परिवर्तन की सूचना विद्यालय को दी जाये लेकिन विद्यालय वाहन का पथ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, विद्यार्थी को पूर्व निर्धारित स्थान से ही लिया जाएगा।
- यदि किसी विद्यार्थी के दुर्व्यवहार की शिकायत बस मॉनिटर या किसी अध्यापक के द्वारा प्राचार्य के पास की जाती है तो उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा सकता है।
- िकसी भी विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता है कि उसे वाहन में सीट उपलब्ध होगी,
 यह सीट की उपलब्धता पर निर्भर है|ऐसी परिस्थिति में अभिभावक द्वारा स्वयं वाहन सेवा की सुविधा करनी होगी।
- किसी भी परिस्थिति में स्कूल बस के रुकने के स्थान को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- बस परिवर्तन के सम्बन्ध में विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र के द्वारा विद्यालय कार्यालय को सूचित करेगा।
 विद्यालय कार्यालय की अनुमित के बिना बस का पथ परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय वाहन शुल्क ग्यारह माह का रहेगा जिसमें जून,2020 माह को छोड़कर अप्रैल,2020 से मार्च,
 2021 तक का चार्ज लिया जायेगा। अप्रैल माह से पूर्व विद्यार्थी विद्यालय वाहन सेवा की सुविधा लेता है, तो उसे उसी माह से मार्च,2021 तक का वाहन शुल्क देना होगा किन्तु बीच में विद्यालय वाहन सेवा छोड़ने पर कोई शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा और पूरा वाहन शुल्क देना होगा।
- जिस माह से नवीन विद्यार्थी विद्यालय मैं प्रवेश लेगा उसे उस माह से ही विद्यालय वाहन सेवा उपलब्ध रहेगी ,उस माह से ही मार्च,2021 तक का वाहन शुल्क देय होगा किन्तु बीच में विद्यालय वाहन सेवा छोड़ने पर कोई शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा और पूरा वाहन शुल्क देना होगा।

मैंने	उपर्यु	क्त सर्भ	ो नियम	व शर्तों	को अ	गच्छे से	पढ़	लिया	है औ	र मैं	इनकी	पालना	करूँगा	यदि	मैं इ	इनमें र	ने कोई	नियम	की	पालना	नहीं
करत	ग हुँ	तो उस	की पूर्ण	जिम्मेदा	री मेर्र	ी होर्ग	ो और	विद्य	ालय '	प्रशा	सन र्जा	चेत का	र्यवाही व	कर स	कता	है					

आभभावक का नाम:	हस्ताक्षर :	Date: